न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 6565 / 2006 / हनुमानगढ़

1– सुखराम (मृतक) जरिये वारिसान–
- 1 / 1– कृष्ण कुमार
- 1 / 2– ओमप्रकाश
- 1 / 3– राजेन्द्र

} पुत्रगण स्व0 सुखराम

- 1 / 4– रोशनी देवी
- 1 / 5– सिलोचना

} पुत्रियां स्व0 सुखराम

1 / 6– महेन्द्र (मृतक) पुत्र स्व0 सुखराम जरिये वारिसान–

1 / 6 / 1– मोनू पुत्र महेन्द्रा

समस्त जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– अनिराम (मृतक) जरिये वारिसान–
- 2 / 1– चन्द्रकलां पत्नि स्व0 अनिराम
- 2 / 2– ओमप्रकाश
- 2 / 3– बृजलाल
- 2 / 4– कमलेश
- 2 / 5– हीरालाल

} पुत्रगण स्व0 अनिराम

- 2 / 6– विमला पुत्री स्व0 अनिराम

समस्त जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1– रणजीत
2– जगदीश

} पुत्रगण माईधन जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक– 16–1–2025

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 10 / 2006 में पारित निर्णय दिनांक 18–8–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत् वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बरवाली चक 7 बारानी में पत्थर नंबर 384/403 किला नंबर 21 ता 25 की 5 बीघा, पत्थर नंबर 384/404 किला नंबर 1 ता 16 की 16 बीघा, पत्थर नंबर 383/410 किला नंबर 8 ता 13 की 6 बीघा, 16 ता 25 की 10 बीघा, पत्थर नंबर 383/411 किला नंबर 1 ता 5 की 5 बीघा, पत्थर नंबर 382/410 किला नंबर 15, 16, 25 की 3 बीघा, पत्थर नंबर 382/411 किला नंबर 5 की 1 बीघा, पत्थर नंबर 384/413 किला नंबर 21 ता 25 की 5 बीघा, पत्थर नंबर 384/414 किला नंबर 1 ता 25 की 25 बीघा, पत्थर नंबर 385/413 किला नंबर 21 की 1 बीघा, पत्थर नंबर 385/414 किला नंबर 1,10,11 की 3 बीघा कुल तादादी 80 बीघा भूमि थी, जिसमें अपीलांट्स के पिता दलसुख व रेस्पोडेंट के पिता माईधन का 1/2–1/2 हिस्सा था। प्रतिवादीगण ने चक नंबर 7 बारानी के पत्थर नंबर 383/411 के किला नंबर 3 ज्यादा दर्ज हुआ है। जबकि इस आराजी पर सदैव ही अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर पत्थर नंबर 383/411 के किला नंबर 3 से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 के नाम पत्थर नंबर 383/411 के किला नंबर 3 की 10 बिस्वा तथा वादी संख्या 2 के नाम खाता संख्या 8/9 में पत्थर नंबर 383/411 के किला नंबर 3 की 10 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजीयात पर दलसुख व माईधन को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। मगर उक्त भूमि का सन् 1977–78 में दोनो भाईयों द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष खाता तकसीम करवा लिया, जिसमें दलसुख को 39 बीघा व माईधन को 41 बीघा भूमि प्राप्त हुई। सन् 1978 से उसी प्रकार उनके नाम अलग–अलग इन्तकाल तस्दीक हो गया और उसी प्रकार अलग–अलग जमाबंदियों में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। विवादित भूमि कभी भी वादीगण के कब्जा काश्त में नहीं रही और न ही वर्तमान में है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे। दौराने वाद रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8–12–2005

द्वारा रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2005 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–8–2006 द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2006 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं जवाबदावा के परिप्रेक्ष्य में उचित विवाद बिन्दुओं की रचना करते हुए दोनों पक्षों की साक्ष्य आदि का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत् दावे को खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांट/वादी द्वारा सहमति से कोई बंटवारा नहीं किया था। यदि सहमति के आधार पर कोई बंटवारानामा है, तो भी वह फर्जी है। इस प्रकार विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय का आदेश क्षेत्राविहीन होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2005 निरस्त किया जावे।

5– रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। राजस्व अभियान सन् 1977–1978 में विचारण न्यायालय द्वारा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर राजीनामा से बंटवारा हुआ था। रेस्पोडेंट को 41 बीघा भूमि रास्ता खाला होने से मिली तथा 39 बीघा सुखराम आदि को मिली। सन् 1983 में राजीनामें के आधार पर बंटवारानामा का रिकार्ड में अमल दरामद हो गया । राजीनामे से वाद डिक्री हो जाने के पश्चात् उसी आराजी पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य नया दावा विधि द्वारा वर्जित है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर विधिसम्मत तरीके से दावा खारिज किया है एवं अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर, नोहर के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के तहत रोही मौजा बरवाली चक 7 बारानी में पत्थर नंबर 384/403 किला नंबर 21 ता 25 की 5 बीघा, पत्थर नंबर 384/404 किला नंबर 1 ता 16 की 16 बीघा, पत्थर नंबर 383/410 किला नंबर 8 ता 13 की 6 बीघा, 16 ता 25 की 10 बीघा, पत्थर नंबर 383/411 किला नंबर 1 ता 5 की 5 बीघा, पत्थर नंबर 382/410 किला नंबर 15, 16, 25 की 3 बीघा, पत्थर नंबर 382/411 किला नंबर 5 की 1 बीघा, पत्थर नंबर 384/413 किला नंबर 21 ता 25 की 5 बीघा, पत्थर नंबर 384/414 किला नंबर 1 ता 25 की 25 बीघा, पत्थर नंबर 385/413 किला नंबर 21 की 1 बीघा, पत्थर नंबर 385/414 किला नंबर 1,10,11 की 3 बीघा कुल तादादी 80 बीघा भूमि कुल तादादी 80 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि में बराबर हिस्सा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में चक 7 के बारानी के प0नं. 383/411 के किला नंबर 3 को कलमजन कर अपीलाण्ट संख्या 1 के नाम प0नं. 383/411 के किला नंबर 3 की 10 बिस्वा तथा अपीलाण्ट संख्या 2 के नाम 383/411 के किला नंबर 3 की 10 बिस्वा भूमि दर्ज की जावे। उक्त दावे का जबावदादावा दिनांक 11—5—2005 को रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 26—9—2005 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि का खाता तकसीम हो जाने एवं विभाजन का नामान्तरकरण भी दिनांक 17—1—83 को तस्दीक हो जाने से अपीलाण्ट का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से दावा इसी स्तर पर खारिज कर दिया जावे । उक्त प्रार्थना—पत्र के जबाव में अपीलाण्ट द्वारा कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट 1/2—1/2 हिस्से खातेदार है लेकिन खाता विभाजन में रेस्पोडेण्ट के नाम 1 बीघा का ज्यादा अंकन होने से वादी द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2041 में रेस्पोडेण्ट के नाम पत्थर नंबर 383/411 के किला नंबर 3 की 1 बीघा भूमि का अंकन दर्ज है। विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों तथा पूर्व में सहमति से बंटवारा हो जाने के कारण रेसजुडिकेटा के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 8—12—2005 से प्रार्थना—पत्र आदेश

7 नियम 11–ए (8) सीपीसी स्वीकार कर वाद खारिज किया। अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में किसी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज प्रकट नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त विभाजन राजस्व अभियान में सहमति से नहीं हुआ हो। उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने अपने पत्र क्रमांक 781 दिनांक 28–12–1978 द्वारा आराजी का बंटवारा कर तहसीलदार, नोहर को उसका अमल दरामद कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 17–1–1983 स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील किए जाने पर उन्होंने भी अपने निर्णय में यही माना है कि दलसुख व माईधन का विवादित भूमि का खाता विभाजन का दावा राजीनामें से राजस्व अभियान में निर्णित होना सिद्ध होता है एवं दिनांक 17–1–83 को रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है जो नामान्तकरण संख्या 112 से सिद्ध होता है, जिसके मुताबिक विवादित भूमि प0नं0 383/411 के माईधन के हिस्सा में आना दर्ज है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित भूमि को माईधन के हिस्से में आना रिकार्ड से प्रमाणित माना गया है । विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से अपीलाण्ट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया है, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। ऐसे विधिसम्मत आदेशों में जहॉ विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है वहॉ द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र, यदि लम्बित हों, तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(**डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर**) (**हेमन्त कुमार गेरा**)

सदस्य **अध्यक्ष**